[illegible] ૨૩/૮/૧૫ [illegible]

૨૩/૦૮/૧૫

પ્રા. શાળા [illegible] પાસે ના પ્રાર્થનાપત્ર સ્વીકાર કર્યા [illegible] [illegible] પ્રમાણે તે [illegible] [illegible] પ્રા. શાળા [illegible] પ્રા. [illegible] [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 99/2023
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.06.2025

1. दौलत सिंह पुत्र गजेन्द्र जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र कुमरपाल जाति जाट निवासी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार लखनपुर।

— अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री पूरन सिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री रामकिशन पूनियां एड. (अप्रार्थीगण की ओर से)

—::निर्णय::— प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 1261 रकबा 0.01, 1262 रकबा 0.94, 1355 रकवा 0.81, 1356 रकवा 0.74, 1357 रकवा 0.01, 1358 रकवा 0.89, किता 6 रकवा 3.40 हैक्ट. वाके ग्राम गादोली तहसील नदबई स्थित है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बरान के हाल व गत खसरा नम्बरान प्रार्थना पत्र पर अंकित है।
4. यह है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं तर. प्रतिवादी स. 5 लगायत 8 की व अप्रार्थी स. 1 पूर्वज की पैत्रिक आराजी है। जो कि प्रार्थी के पिता को विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधि. के तहत जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है।
5. यह है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं तर. प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 की पैतृक आराजी है लेकिन कर्ताखानदान प्रार्थी का पिता गजेन्द्र होने से गजेन्द्र के नाम चली आ रही है। प्रार्थी के पिता ने पूर्व में भी विक्रय कर दिया है और बेवजह फिजूलखर्ची में उक्त आराजी को विक्रय करने पर उतारू है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार

23/6/25

नहीं है। प्रार्थी को तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 उक्त आराजी भी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

6. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को वाके गादौली पर दिनांक 05.08.2023 को धमकी दी गई कि विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर देगा तथा प्रार्थी को हिस्से से महरूम कर देगा। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने का अधिकारी है।

7. अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा रहनवयमुन्तकिल न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम गादौली स्थित है। प्रार्थी द्वारा जो सजरा पत्रावली पर पेश किया गया है वह प्रमाणित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त संपत्ति स्वअर्जित है न कि पैतृक है। प्रार्थी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है। और न ही आराजी पर कब्जाकाश्त है तथा प्रार्थी न ही ग्राम गादौली में रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी कोई वयनामा नहीं कराया है और न ही फिजूलखर्ची में स्वअर्जित संपत्ति को खुदबुर्द किया है बल्कि अपने कसदन कर उक्त आराजी में मेहनत मजदूरी कर आराजी को सुरक्षित रखा है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ने पढाया एवं शादी विवाह किए उसके उपरान्त भी आराजी को सुरक्षित रखा है। प्रार्थी के मन में बदनीयती आई है जो जबरदस्ती आराजी को हडपना चाहता है। तथा बेचान करना चाहता है। और न ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी है। इसलिए प्राईमाफेसी केस प्रार्थीया के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम गादौली, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028, नकल जमाबंदी संवत 2050–53 एवं नकल जमाबंदी संवत 2020–24 पेश किए गए। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

23/8/25

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी मद संख्या 2 की आराजीयात वाके ग्राम गादौली स्थित है उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक संपत्ति है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 गजेन्द्र को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को रहनवयमुन्तकिल करना चाहता है। अतः पैतृक आराजी में प्रार्थी का हक व हिस्सा निहित है। अतः दावा के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.08.23 को दावा पेश किया है तब से आदिनांक तक किसी प्रकार का कोई उज्रदारी नहीं की। अप्रार्थी एक रिकॉर्डेड खातेदार है। तथा अप्रार्थी की स्वअर्जित संपत्ति है। एक रिकॉर्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता और न ही आराजी को किसी प्रकार का बेचान किया है। अप्रार्थी 90 वर्ष की आयु का है कोई शराबी किस्म का व्यक्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि–

1. <u>पृथमदृष्ट्या केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित हाल आराजी खसरा नंबर 1261 रकबा 0.01, 1262 रकबा 0.94, 1355 रकवा 0.81, 1356 रकवा 0.74, 1357 रकवा 0.01, 1358 रकवा 0.89, किता 6 रकवा 3.40 हैक्ट. वाके ग्राम गादोली स्थित है। हाल रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 गजेन्द्र पुत्र कुमरपाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन गादौली के नाम दर्ज है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 एवं 2060 के अनुसार गत एवं खसरा नंबरान का मिलान हो रहा है। नकल जमाबंदी संवत 2050–53 में भी गजेन्द्र पुत्र कुमरपाल जाति जाट साकिन देह गादौली के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं नकल जमाबंदी संवत 2020–24 में गत खसरा नंबरान पर अप्रार्थी संख्या 1 के पिता कुमरपाल के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थी के बाबा कुमरपाल की खातेदारी की आराजी दर्ज रिकॉर्ड रही है। उक्त आराजी पैतृक आराजी है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विरासतन प्राप्त हुई उक्त विवादित आराजी का बेचान एवं रहनवयमुन्तकिल किया जाता है तो प्रार्थी को उसके जन्म से प्राप्त खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड़ सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार योग्य है। प्राईमाफेसी केस से प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

23/6/25

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> — चूंकि मामला प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के हक में साबित होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

3. <u>अपूरनीय क्षति</u> — अगर अप्रार्थी संख्या 1 को स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को उसके जन्म से प्राप्त खातेदारी अधिकारों से वंचित रहना पड़ सकता है जो उसके लिए अपूरनीय क्षति होगी। एवं उसके खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरनीय क्षति भी प्रार्थी के हक तक साबित होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 1261 रकबा 0.01, 1262 रकबा 0.94, 1355 रकवा 0.81, 1356 रकवा 0.74, 1357 रकवा 0.01, 1358 रकवा 0.89, किता 6 रकवा 3.40 हैक्ट. वाके ग्राम गादोली तहसील नदबई में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 को दावा के अंतिम निस्तारण तक स्थगन आदेश से इस कदर पाबंद किया जाता है कि आराजी की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें एवं रहनवयमुन्तकिल नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 23.6.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/6/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर